फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रभुलाल	विपक्षी : राजस्थान राज्य
किस्म मुकदमा – 131,133 भू.राजस्व अधिनियम	पत्रावली संख्या : 118/24
	जीसीएमएस : 2024/470

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 24.12.2024	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मौजा मारूवास की आराजी नम्बर 1872/1760 का अलॉटमेन्ट खातेदार उंकार पिता जगा जाति भील निवासी मारूवास के नाम कार्यालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर के आदेश क्रमांक–राज/आवं/381/89 दिनांक 23.06.89 में आवंटन हुई थी। वक्त आवंटन उक्त भूमि का आराजी नम्बर 914/1 रकबा 3 बिधा किस्म मगरी था। पटवार मण्डल पर मौजूद नामान्तरण पत्रावली के प्रविष्टि संख्या 233 पर उक्त नामान्तरण 233 किस्म आवंटन दर्ज रिकॉर्ड है। परन्तु उक्त नामान्तरण के साथ वक्त आवंटन का नक्शा मौजूद/चस्पा नहीं है। पटवार मण्डल पर मौजूद लट्ठा शीट पर उक्त आराजी 914 (मूल) पर आवंटन द्वारा आवंटित आराजी नम्बर 914/1 की तरमीम मौजूद है। वर्तमान जमाबन्दी सवंत् 2077–80 उक्त आराजी नम्बर 914/1 का नया आराजी नम्बर 1872/1760 क्षेत्रफल 0.4290 हैक्टेयर किस्म बा.तृतीय खातेदार प्रभुलाल पुत्र राजाराम हिस्सा 1/5 जाति भील सा. कुकड़ा खेड़ा तहसील गोगुन्दा एवं खातेदार वेलाराम पुत्र उंकारलाल हिस्सा 4/5 जाति भील सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौका जांच में वर्तमान आराजी नम्बर 1872/1760 की तरमीम, लट्ठा शीट एवं मूल बटर शीट में मौजूद तरमीम से भिन्न पाई गई एवं प्रार्थी द्वारा लट्ठा शीट की तरमीम को गलत होना बताया गया। प्रार्थी प्रभुलाल पिता राजाराम जाति भील एवं वेलाराम पुत्र उंकारलाल जाति भील का वर्तमान में स्थित कब्जे की जांच पर मौके पर पक्की बाउण्ड्री एवं कहीं पर कच्चे पत्थर की चुनाई की बाउण्ड्री पाई गई। उक्त कब्जे के नाप पर प्रार्थी के कब्जे में 0.4290 हैक्टेयर भूमि संयुक्त रूप से पाई गई एवं प्रार्थी द्वारा कई वर्षों से इसी कब्जे का उपयोग लेना पाया गया। उक्त कब्जे पर स्थित बाउण्ड्री से पड़ोस का आराजी नम्बर 1824/914 भी प्रभावित होना पाया गया है। आराजी नम्बर 1824/914 वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खातेदार मदन गमेती पुत्र जगदीश हिस्सा पूर्ण जाति भील सा. राड़ाजी बावजी देवरा 1072 न्यू भूपालपुरा वार्ड नम्बर 18 तहसील गिर्वा किस्म वाणिज्यिक प्रायोजनार्थ रेस्टोरेन्ट रकबा 0.2428 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त प्रकरण में खातेदार मदन गमेती पुत्र जगदीश आराजी नम्बर 1824/914 को भी पार्टी बनाया जाना अपेक्षित है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र की जांच, मौका जांच के अनुसार प्रस्तावित नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट के साथ पटवारी रिपोर्ट, मौका पर्चा, नजरीनक्शा एवं वर्तमान नक्शा एवं प्रस्तावित नक्शा साथ सलंग्न किये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का [illegible]न किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम मारूवास पटवार [illegible] की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 369 पर दर्ज [illegible]राजी नम्बर 1872/1760 रकबा 0.4290 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी[illegible] है। इसी प्रकार खाता संख्या 463 पर दर्ज आराजी नम्बर 1824/914 रकबा 0.2428 हेक्टेयर भूमि विपक्षी सं. 3 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:13 IST
Reason: SelfAttested

पर दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात की तरमीम मौके अनुसार नहीं होकर भिन्न हैं जिसे तहसीलदार घासा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 भी उक्त तथ्य को स्वीकार कर रहे है कि मौके अनुसार तरमीम नहीं होकर भिन्न तरमीम हैं। उक्त आराजीयात खातेदारों को आवंटन से दर्ज हुई थी जिसका नक्शा ट्रेस भी नहीं हैं। तहसीलदार घासा द्वारा मौके एवं जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मारूवास पटवार हल्का नउवा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 369 पर दर्ज आराजी नम्बर 1872/1760 रकबा 0.4290 हेक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 463 पर दर्ज आराजी नम्बर 1824/914 रकबा 0.2428 हेक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार घासा से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:47:13 IST
Reason: SelfAttested